न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी जगदीश आर्य आर0ए0एस

मुकदमा नं0 101 / 2012

1. नसरू उर्फ कपला
2. रत्ती
3. असरू
4. आसीन पिसरान चन्दरू
5. जैतूनी पत्नि नसरू
6. खतीजा पत्नि रत्ती
7. नफीजा पत्नि असरू
8. कुर्सीदन पत्नि आसीन जातियान मेवान निवासीयान ग्राम धर्मशाला तहसील कामां (भरतपुर)

सायलान

बनाम

1. फजरू
2. अलीजान
3. ईशब
4. आलम
5. सौदान पिसरान बुदली उर्फ बुद्धसिंह
6. हसनवी पत्नि बुदली उर्फ बुद्धसिंह जातियान मेवान निवासी ग्राम धर्मशाला तहसील कामां (भरतपुर)
7. तहसीलदार पहाडी (भरतपुर)

गैरसायलान

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट

उपस्थित :– श्री सतीश बुन्देला वकील सायलान
श्री बृजलाल शर्मा वकील गैरसायलान 1 लगायत 6

दिनांक :– 05.11.2019

निर्णय

सायलान द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट के तहत इस आशय के साथ पेश किया कि विवादित आराजी खसरा नं0 40 / 1 / 0.93, 47 / 0.48 है0 बांके ग्राम सोलपुरपीली तहसील पहाडी में स्थित है। सायलान संख्या 1 लगायत 4 आपस में खास भाई है एवं 5 लगायत 8 चारों सायलान की पत्नियां है तथा गैरसायलान 1 लगायत 5 भी आपस में खास भाई है। गैरसायल संख्या 6 उनकी मां है आराजी मुत0 में सायलान का 1 / 2 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। तथा गैरसायलान 1 लगायत 6 भी आराजी के 1 / 2 हिस्से के खातेदार काश्तकार के रूप में

उपखण्ड अधिकारी
पहाडी (भरतपुर) राज.

Scanned with OKEN Scanner

काबिज होकर सम्मलित रूप से काश्त करते चले आ रहे है। सायलान व गैरसायलान के मध्य अब संयुक्त रूप से काश्त करना संभव नहीं रहा है तथा छोटी –छोटी बातो को लेकर आपसी मनमुटाव होता रहता है। सायलान ने गैरसायलान से आराजी के मुताबिक हिस्सा विभाजन करने को कहा तो तो गैरसायलान नाराज हो गये तथा गैरसायलान ने विभाजन कराने से साफ इन्कार कर दिया। एवं गैरसायलान ने धमकी दी है कि आराजी मुत0 को बिना विभाजन कराये दीगर व्यक्तियों को रहन मुन्तकिल करने रहेगे। तथा सायलान को उनके 1/2 हिस्से पर काश्त नहीं करने देगे। यदि गैरसायलान अपनी धमकी के मुताबिक अपने फैल में कामायाब हो गये तो सायलान को सख्त हक तलफी होगी एवं अनावश्यक मुकदमें बाजी में फंसना पडेगा व ऐसी अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी क्षति पूर्ति जर्रे नकद न हो सकेगी विदी वजह सायलान विरूद्ध गैरसायलान अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करा पाने के अधिकारी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर गैरसायलान को ताफैसला मुकदमा पाबन्द फरमाया जावे कि वे सायलान को आराजी मुत0 के 1/2 हिस्से की कब्जे काश्त में किसी प्रकार की व्यवधान पैदा न करें एवं आराजी बिना विभाजन कराये दीगर व्यक्तियों को रहन वय मुन्तकिल न करें तथा कब्जा नाजायज न करे।

. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया । गैरसायलान मय वकील न्यायालय में उपस्थित आये जबाब पेश किया कि आराजी मुत0 गैरसायलान के पति व पिता बुद्धसिंह व उसके भाई शादी व उम्मेद सिंह ने जरिये रजिस्टर्ड वयनामा दिनांक 05.06.1971 को खरीद किया है। बाद खरीद बुद्धसिंह ,शादी, उम्मेद सिंह वाहिस्सा बराबर आराजी पर काबिज रहते हुये काश्त करते रहे है। आराजी मुतदाविया का प्रत्येक का एक तिहाई हिस्सा रहा है। उम्मेद सिह व शादी लाबल्द बिला औरत फौत हो गये गैरसायलान के पिता बुद्धसिंह के उम्मेद व शादी के अलावा एक भाई चन्दरू और था जो सायलान संख्या 1 लगायत 4 का पिता एवं सायलान 5 लगायत 8 का ससुर था। सन् 1974 के करीब शादी के मरने के बाद शादी के विरासत का दाखिल खारिज उम्मेद चन्दर व बुद्धसिंह के नाम दर्ज हुआ तथा आराजी मुतदाविया में बुद्धसिंह पिता गैरसायलान का 4/9 हिस्सा उम्मेद सिंह का 4/9 हिस्सा व चन्दर का 1/9 हिस्सा हो गया। सन् 1993 में उम्मेद फौत हो गया उसके मरने के बाद उसके 4/9 हिस्से पर गैरसायलान के पिता व सायलान 1 लगायत 4 के पिता निस्फ हिस्से पर दाखिल खारिज दर्ज हुआ। यानि की उम्मेद 4/9 हिस्से में से 4/18 हिस्सा बुद्धसिंह के हिस्से में आया 4/18 हिस्सा चन्दर के हिस्से में आया था। इस प्रकार आराजी में चन्दरू का 1/3 व बुद्ध सिंह का 2/3 हिस्सा होता है। सायलान के पिता चन्दरू का आराजी में 1/3 हिस्सा होते हुये भी उसने राजस्व रिकार्ड में गलत तरीके से नामांकन के खिलाफ राजस्व कर्मचारियों के संग साज करके अपने नाम 1/2 हिस्से पर खातेदारी दर्ज

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर) राज.

करा ली और गलत इन्द्राज की बिनाय पर आराजी चन्दरू के फौत होने पर सायलान संख्या 1 लगायत 4 व चन्दरू की पत्नि के नाम विरासत का दाखिल खारिज दर्ज करवाकर गलत इन्द्राज की विनाय पर आराजी के निस्फ हिस्से को सायलान संख्या 1 लगायत 4 ने कल्दा पुत्र जैनी के नाम बयनामा करा दिया जबकि चन्दरू के वारिसान का 1/3 हिस्सा ही था। बाद में कल्दा ने आराजी के निस्फ हिस्से को सायलान संख्या 5,7, 8 को जरिये रजिस्टर्ड दान पत्र दान कर दिया। सायल संख्या 6 को बयनामा कर दिया। उस आधार पर आराजी के निस्फ हिस्से पर सायल संख्या 5 लगायत 8 ने आराजी का कब्जा ना तो कुल्दा को दिया और ना ही कुल्दा ने सायलान संख्या 5 लगायत 8 को दिया। सारे ट्रान्जेशन पोसीदा तरीके से किये गये है। जो गैरसायलान के हिस्से तक प्रभावहीन व शून्य है। अतः जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज फरमाया जावें ।

वकील फरीकेन ने अपनी बहस में जाहिर किया कि आराजी की बाबत 145 सीआरपीसी की कार्यवाही जेरकार है एवं विवादित आराजी अन्तर्गत धारा 146 सीआरपीसी के तहत रिसीवरी में है। जिसकी अपील माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश महोदय, कामां के यहां विचाराधीन है। उक्त आराजी पर किसी भी पक्षकार का कोई कब्जा नहीं है।अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट खारिज फरमाया जावें एवं न्यायालय द्वारा पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 04.10.2012 वैकिट फरमाई जावें।

हमने वकील फरीकेन की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। वकील फरीकेन ने अपनी बहस में जाहिर किया कि विवादित आराजी अन्तर्गत धारा 146 सीआरपीसी के तहत रिसीवरी में है। जिसकी अपील न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश महोदय, कामां में विचाराधीन है और आराजी पर किसी भी पक्षकार का कोई कब्जा नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया केस एवं सुविधा का सन्तुलन सायलान के पक्ष में कयास नहीं आता है। प्रार्थना पत्र सायलान काबिले खारिजी के है।

अतः प्रार्थना पत्र सायलान अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट खारिज किया जाता है। पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 04.10.2012 को वैकिट किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 05.11.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश आर्य)
उपखण्ड अधिकारी
पहाडी (भरतपुर).

Scanned with OKEN Scanner